उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-143/2015/1176जेएल/22-3-15-21जी/1989

लखनउ: दिनांक: 21 मई, 2015

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या 10(सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2, सन 1974) की धारा 432 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली-2007 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम 4 का संशोधन **2.** उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007 में, नियम-1 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम(4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान उप-नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
4. यह नियमावली उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सिद्धदोष बंदियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर या राज्य के बाहर परिरूद्ध हों, किन्तु वह निम्न्लिखित पर लागू नहीं होगी :-	**4.** यह नियमावली उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सिद्धदोष बंदियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर या राज्य के बाहर परिरूद्ध हों, किन्तु वह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :-
(क)ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्धदोष बंदियों पर,	**(क)**ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्धदोष बंदियों पर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख)ऐसे बंदियों पर जिन्होंने किसी न्यायालय में दण्डादेश के विरूद्ध उसके लम्बित रहने के दौरान अपील या पुनरीक्षण फाइल किया हो,	**(ख)**ऐसे बंदियों पर जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अन्य आपराधिक मामला लम्बित हो,
(ग)ऐसे बंदियों पर जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अन्य आपराधिक मामला लम्बित हो,	**(ग)**ऐसे बंदियों पर जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हैं जिसके लिए दण्डादेश का निलम्बन किसी विधि में अनुमन्य नहीं है,
(घ) ऐसे बंदियों पर जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष है जिसके लिए दण्डादेश का निलम्बन किसी विधि में अनुमन्य नहीं हो,	

आज्ञा से

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव, कारागार।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Karagar Prashasan Evam Sudhar Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-143/2015/1176JL/22-3-15-21G/1989, Lucknow, dated May 21, 2015.

Notification

No-143/2015/1176JL/22-3-15-21G/1989

Lucknow, Dated May 21, 2015.

In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with view to amending the Uttar Pradesh (Suspension of Sentences of Prisoners) Rules'2007:-

THE UTTAR PRADESH (SUSPENSION OF SENTENCES OF PRISONERS) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2015.

1. Short title and commencement-

1. (1) These rules may be called THE UTTAR PRADESH (SUSPENSION OF SENTENCES OF PRISONERS) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2015.

(2) They Shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-4-

2. In the Uttar Pradesh (Suspension of Sentences of Prisoners) Rules, 2007 in rule-1, for sub-rule (4) set out in column-I below, the sub-rule as set out in column-II shall be substituted, namely :-

-----2

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Column-I		Column-II	
Existing sub-rule		**sub-rule as hereby substituted**	
4. These rules shall apply to the prisoners convicted by the courts in Uttar Pradesh for an offence to which the executive power of the State extends whether Confined in Jail within the State of Uttar Pradesh or outside the State but do not apply to,		4. These rules shall apply to the prisoners convicted by the courts in Uttar Pradesh for an offence to which the executive power of the State extends whether Confined in Jail within the State of Uttar Pradesh or outside the State but do not apply to,	
(a)	The prisoners convicted for an offence to which the executive power of the States does not extend.	**(a)**	The prisoners convicted for an offence to which the executive power of the States does not extend.
(b)	The prisoners who have filed any appeal or revision in any Court against sentence, during pendency thereof.	**(b)**	The prisoners against whom any other criminal case is pending before any court.
(c)	The prisoners against whom any other criminal case is pending before any court.	**(c)**	The prisoners convicted for an offence for which suspension of sentence is not admissible in any law;
(d)	The prisoners convicted for an offence for which suspension of sentence is not admissible in any law;		

By order,

Rajendra Kumar Tiwari
Principal Secretary, Jail.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।